

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 3200/22/वि-12/ग्रासप्रा/IT-1/19

भोपाल, दिनांक 20/09/2019

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई.....

विषय:- प्राधिकरण की विभिन्न इकाईयों में प्रयुक्त DSC संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- एन.आई.सी.-म.प्र. द्वारा प्राप्त अनुशंसा।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्राधिकरण में विभिन्न इकाईयों में महाप्रबंधक तथा लेखाधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) उपयोग किये जाते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि DSC Token गुम होने की स्थिति में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को अपना DSC Token के गुम होने की सूचना पास के किसी भी पुलिस थाने में FIR (नाम, पद, Token no. तथा अन्य सम्बंधित जानकारी का उल्लेख करते हुए) दर्ज करायी जाना चाहिये, तत्पश्चात अपना DSC, DSC Enrollment List से Deactivate करने के साथ-साथ DSC Revoke कराने की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना चाहिये।

(पंकज झंवर)

मुख्य महाप्रबंधक (निविदा एवं ई-गवर्नेंस)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

पु. क्र. 3201/22/वि-12/ग्रासप्रा/IT-1/19

भोपाल, दिनांक 20/09/2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक (समस्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. टास्क मैनेजर, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. मैनेजर(आई.टी.), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. लेखाधिकारी(समस्त) परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों की ओर पत्रित।

मुख्य महाप्रबंधक (निविदा एवं ई-गवर्नेंस)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल